बिहार विधान परिषद के लिए शून्यकाल सूचना	
श्री तनवीर हसन, मा0 स0वि0प0 द्वारा दि0–23.03.2011 को प्रस्तुत शून्यकाल सूचना के संबंध में	**श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,** मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
शून्यकाल सूचना	**उत्तर**
दैनिक समाचार पत्र के अनुसार बेगूसराय जिला अन्तर्गत साहेबपुर कमाल प्रखण्ड के समस्तीपुर पंचायत के सलेमाबाद गॉव में बीती रात अचानक आग लग जाने से लगभग बाइस घर जल कर राख हो गए, जिसमें श्री राम रतन यादव एवं श्रीमती पोठिया देवी गंभीर रूप से जलने के बाद इलाज हेतु सदर अस्पताल में भर्ती हैं । पीड़ितों का सारा माल व असबाब जल रहा है । दमकल समय पर नहीं पहुँचने के कारण काफी मुश्किल से आग पर नियंत्रण पाया जा सका, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है । अतः मैं सरकार से पीड़ित परिवारों के घायल व्यक्तियों का सरकारी स्तर पर इलाज कराने, इंदिरा आवास से घर का निर्माण कराने तथा सम्पत्ति की क्षति का मुआवजा हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ ।	वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत साहेबपुर कमाल प्रखण्डान्तर्गत समस्तीपुर पंचायत अन्तर्गत सलेमाबाद ग्राम में दि0–21.03.11 के रात्रि करीब 11.00 बजे आग लगने के कारण कुल 19 घर जला था । सभी 19 परिवारों को 2250/–रू0 नगद, 50 किलो गेहूँ एवं 50 किलो चावल प्रति परिवार की दर से तत्काल दिया गया । इसके अलावे प्रत्येक पीड़ितों के परिवार के बीच 5 मीटर पॉलिथीन का वितरण किया गया है एवं प्रति लाभुकों को 2000/–रू0 की दर से झोपड़ी मद की राशि भुगतान किया गया है । श्रीमती छठिया देवी एवं श्रीमती सरिता देवी अग्निपीड़ित थी। इन्हें सरकारी नियमानुसार पूर्व में ही अनाज एवं राशि उपलब्ध करा दी गई थी । उक्त अग्निकांड में श्रीमती सरिया देवी का आंशिक रूप से दाहिना हाथ जला था तथा वह स्वयं अस्पताल आकर ईलाज कराई तथा उसी दिन अस्पताल से वापस चली गईं। वह तथा अन्य कोई अस्पताल में भर्ती नहीं हुईं । अतः इन्हें सरकारी मापदंड के अनुसार इन्हें चिकित्सा अनुग्रह अनुदान देय नहीं है । श्री दीना ठाकुर एवं श्री मलकित ठाकुर (बी0पी0एल0 परिवार) को इंदिरा आवास देने हेतु मामला प्रक्रियाधीन है ।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04/वि0प0शू0का0प्र0–51/2011/................................/आ0प्र0, पटना–15, दि0–

प्रतिलिपि अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक –1064 (1) दि0–25.03.2011 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –04/वि0प0शू0का0प्र0–51/2011/....1427..../आ0प्र0, पटना–15, दि0– 15/4/13

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईटपर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

15/4/13

सरकार के अवर सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai\QU ANS Shoonyakal.docx